

1

:: अनुप्रमाणनकर्ता ::

चेतावनी :-

1. अनुप्रमाणनकर्ता से असत्य जानकारी देना या किसी तथ्य तक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जायेगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्ता ठहराया जा सकेगा।

2. इस कर्ता को पूरा करने और प्रस्तुत करने के पश्चात् उम्मीदवार निरुद्ध किया जाये। सिद्ध दोष ठहराया जाये या वर्जित आदि कर दिया जाये तो तत्संबंधी व्यौरे यथा स्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस अधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन कर्ता पहले भेजा गया हो। शीघ्र ही सूचित किये जाने चाहिये, अन्यथा यह माना जायेगा कि तथात्मक जानकारी छिपाई गई है।
3. यदि यह तथ्य अनुप्रमाणन कर्ता के असत्य जानकारी दी गई है। या यह कि कोई तथात्मक जानकारी छिपाई गई है किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आये तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

1. पूरा नाम(स्पष्ट अक्षरों में)
तथा उपनाम यदि कोई हो
(यदि अपने किसी भी अवस्था
में अपने नाम या कुलनाम में
कुछ जोड़ा हो या हटाया हो
तो कृपया उसका उल्लेख कीजिये)

कुलनाम(सरनेम)

नाम

2. वर्तमान पूरा पता(अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला,
या घर क्रमांक, गली, मार्ग, सड़क तथा नगर,
और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

3. (क) घर का पूरा पता(अर्थात्)
ग्राम, थाना तथा जिला या घर क्रमांक, गली,
मार्ग, सड़क तथा नगर(और जिला मुख्यालय
का नाम और राज्य जिसमें वह स्थित हो)

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो
उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ
में प्रवास की तारीख।

4. निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हैं) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के ब्यौरे दिये जाने चाहिये जहां आप 21 वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों।

से	तक	निवास का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना तथा जिला अथवा घर क्रमांक गली, मार्ग, सड़क तथा नगर)	पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम तथा वह राज्य जिसमें वह स्थित है।
1	2	3	4

5. पिता का:-

- (क) पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो
 (ख) वर्तमान डाक पता (यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)
 (ग) घर का स्थायी पता
 (घ) व्यवसाय
 (ङ) यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम तथा कार्यालय का पता दीजिये।

.....

6. (i) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता:-

- (क) पिता (क)
 (ख) माता (ख)
 (ग) पति/पत्नी (ग)
 (घ) उम्मीदवार (घ)

(ii) पति/पत्नी का जन्म स्थान :

7. (क) जन्म तारीख
 (ख) वर्तमान आयु
 (ग) मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु:

8. (क) जन्म स्थान, जिला तथा राज्य स्थित हो (क)
 (ख) वह जिला तथा राज्य जहां के आप निवासी हैं। (ख)

शेष पृष्ठ 3 पर...

9. (क) आपका धर्म

(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं हां या नहीं में उत्तर दीजिये और यदि आपका उत्तर हां में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिये।

10. शैक्षणिक अर्हताएं :-

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिये जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया हो।

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख	उत्तीर्ण परीक्षा
1	2	3	4

11. यदि आप कभी नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी ब्यौरे दीजिये :-

धारित पद का नाम या कार्य का स्वरूप।	अवधि	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता।	पिछली सेवा छोड़ने के कारण।
1	2	3	4

12. (क) क्या आप कभी गिरफ्तार किये गये हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन बताया गया है, तथा आप कभी निरुद्ध किये गये हैं, या आपसे मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपसे किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं। किये जाने वाले चयन में से सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उनके लिये अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है। निष्काशित किया गया है।

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है।

यदि (क) अथवा (ख) में पूछे प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर "हाँ" में हो तो आपका इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्धि तथा दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने चाहिये तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समय से मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिये।

(टिप्पणी:- कृपया इस अनुप्रमाणन फार्म के उपर दी गई चेतावनी भी देखें)

::प्रमाण-पत्र::

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहां तक मुझे पता है और जहां तक मेरा विश्वास है सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिये मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाये तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिये या बिना कारण बताये मेरी सेवायें समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

दिनांक :

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिये:-

1. केन्द्रीय या राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी,
2. संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य,
3. सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अधिकारी,
4. तहसीलदार या नायब उप तहसीलदार, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करने के लिये प्राधिकृत हो,
5. शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्राधानचार्य तथा प्रमुख,
6. खंड विकास अधिकारी,
7. पोस्ट मास्टर,
8. पंचायत निरीक्षक,

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी को पिछले वर्षों
 पिता/पति का नाम श्री माह से जानता हूँ तथा उनके द्वारा दिये गये ब्यौरे, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक
 विश्वास है, सही है।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर.....

पदनाम या स्थिति तथा पता

(कार्यालय द्वारा भरा जावे)

1. नियुक्ति प्राधिकारी का नाम
 पदनाम और पूरा पता
2. यह पद, जिसके लिये उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है।

:: प्रतिज्ञा पत्र ::

मैं आत्मज शपथ ले
 हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान
 प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखुंगा, तथा
 अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा।

अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

हस्ताक्षर

टीप :- उपरोक्त शपथ पत्र, शपथकर्ता द्वारा 10/- रुपये के नानजुडिशियल स्टाम्प में तैयार कर प्रस्तुत करें।

:: शपथ पत्र ::

- मैं आत्मज उम्र वर्ष,
निवासी ग्राम तहसील..... थाना जिला
..... का/की हूँ, जो कि निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता/करती हूँ कि:-
1. यह कि मेरा नाम व प्रता उपरोक्तानुसार है, जो कि सत्य एवं सही है।
 2. यह कि मेरी नियुक्ति कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर में सहायक ग्रेड-3 के पद पर हुई है, तथा उक्त पद पर मैंने दिनांक / /2019 को अपना पदभार ग्रहण किया/की हूँ।
 - 3 यह कि मैं, प्रवर्ग की श्रेणी के अन्तर्गत आता/आती हूँ।
 4. यह कि मेरे विरुद्ध भारत के किसी भी थाने में अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है, और न ही किसी भी न्यायालय से मुझे दण्डित किया गया है।
 5. यह कि मुझे कभी भी लोक सेवा आयोग या उससे संबंधित परिक्षाओं में शामिल होने से कभी भी वंचित नहीं किया गया है। मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था के द्वारा परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं किया गया है।
 6. यह कि मैं यह शपथपत्र अनुप्रमाणन फार्म के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

:: सत्यापन ::

मैं उपरोक्त शपथकर्ता के रूप में सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 1 से 6 तक उल्लेखित समस्त कथन मेरे जानकारी में सत्य एवं सही है। अतः आज दिनांक को मैं, अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी आग
उम्र वर्ष निवासी
तहसील जिला राज्य शपथपूर्वक कथन
करता/करती हूँ कि :

- (1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।
- (2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन प्रदान की गई है।
- (3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में (प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।
- (4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र विहित शीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।
- (5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण-पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रस्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रस्थिति के संबंध में कोई जांच करती है अथवा गहन जांच हेतु सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण-पत्र उक्त स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रस्थिति के संबंध में की गई जांच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रस्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रस्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्यक्षीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/मनोन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक निवोजक/शिक्षण/संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन या गान)

द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरुद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रार्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी

आत्मज/आत्मजा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर